@shahjahanpurpol

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2023

(एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस का सराहनीय कार्य)

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 02 करोड रु0 की 02 किलो फाइन क्वालिटी अफीम व एक अदद मोबाईल फोन टच स्क्रीन सहित एक मादक पादार्थ तस्कर गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश शासन, एवं वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश के अनुरुप जनपद शाहजहांपुर मे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है । उक्त क्रम में दिनांक **05.09.2023** को एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही मे एक अन्तर्राज्यीय अफीम तस्कर को थाना सेहरामऊ क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । दिनांक **05.09.2023** को पुलिस की संयुक्त टीम को विश्वस्त सूत्रो से जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज एक व्यक्ति कही बाहर से कोई नशीला पदार्थ लेकर सेहरामऊ दक्षिणी अंतर्गत आयेगा। उक्त सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो से साझा किया गया , जिस पर थाना सेहरामऊ दक्षिणी एवं जनपदीय एस0ओ0जी0 की एक संयुक्त टीम गठित करते हुये मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे पुलिस टीम बादशाहनगर चौराहे से कहेलिया को जाने वाले मार्ग पर प्रातः समय करीब **05.30** बजे मुखबिर की सूचना पर झारखण्ड राज्य के रहने वाले ओस्ताज अंसारी पुत्र कबीर अंसारी निवासी ग्राम तरवडी पोस्ट नवागढ थाना लातेहार एवं जिला लातेहार झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से कुल **02** किलो फाईन क्वालिटी की अफीम बरामद की गयी है। बरामदा अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब **02** करोड रु**0** है।

गिरफ्तार का स्थान/समयः

बादशाहनगर चौराहा पर दिनांक **05.09.2023** प्रातः समय करीब **05.30** बजे ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम/पताः

1.ओस्ताज अंसारी पुत्र कबीर अंसारी निवासी ग्राम तरवडी पोस्ट नवागढ थाना लातेहार एवं जिला लातेहार झारखण्ड

आपराधिक इतिहासः पकडे गये अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है ।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

1.कुल 02 किलो फाईन क्वालिटी की अफीम

(कीमत 02 करोड रुपये)

2.एक अदद मोबाईल फोन टच स्क्रीन

3.एक आधार कार्ड

4. 1270 रु0 नगद

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः</u>

मु0अ0सं0 425/2023 धारा 8/18 N.D.P.S ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहांपुर।

<u>पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः</u>

पकडे गये अभियुक्त ओस्ताज अंसारी पुत्र कबीर अंसारी निवासी ग्राम तरवडी पोस्ट नवागढ थाना लातेहार एवं जिला लातेहार झारखण्ड ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मूल रुप से झारखण्ड राज्य का रहने वाला हूँ। झारखण्ड के घने जंगलो मे अफीम की काफी खेती होती है। कुछ लोग चोरी छुपे अंदर जंगल से बहुत सस्ती कीमत पर अफीम लाकर बिक्री करने का काम करते हैं। अपने आस पास के गांव को लोगों को झारखण्ड से अफीम लेकर दूसरे राज्यों में बेंचते हैं और कम मेहनत व समय में ज्यादा पैसे कमा लेते हैं इसी लालच में मैं भी आज अफीम बेंचने आया था कि आप लोगो ने मुझे अफीम के साथ पकड लिया।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः</u>

(एस0ओ0जी0 टीम)

1. मु0आ0 243 मौ0 तौसिम हैदर

2. मु0आ0 249 विपिन कुमार

3. का0 1435 दिलीप कुमार

(थाना सेहरामऊ दक्षिणी)

1.SO श्री रोहित कुमार, से0म0द0

2.उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह

3. उ0नि0 श्री राकेश कुमार

4. का0 1809 कपिल कुमार

5. का0 2675 प्रवीन

6. का0 2789 शभनिश कुमार